



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : 01/यो0ब0-64/2022-337 दिनांक :- 17/05/2023

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/देवघर वन प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/राँची वन प्रमंडल, राँची/मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/दुमका वन प्रमंडल, दुमका/धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2028-29 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "नदी तट वृक्षारोपण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल **रु0 170.894 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख नैवासी हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-11/2021-24/स्वी0 व0प0 दिनांक-03.02.2023 एवं आवंटन आदेश संख्या-4/यो0 बजट-11/2021-05/आ0 व0प0 दिनांक-28.04.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष-70-नदी तट वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 170.894 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख नैवासी हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110170010103	121.060
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110170010323	49.834
कुल :-		170.894

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** तथा ऑन लाईन उप-आवंटन **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।
3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110170010103 तथा 19S24060110170010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. यदि नदी तट वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत वनभूमि अथवा गैर-मजरुआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई, जिसकी लम्बाई 100 मी० होती है, उसके चयन के क्रम में यदि आंशिक रूप से रैयती भूमि आ रही हो, तो इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी० लम्बाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अवधि के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को इकरारनामा-सह-अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दें। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।
5. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।
6. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।
9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।



(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकेगी।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टॉकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

10. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2022-23 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

11. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान व्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।



(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार कराये।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद (CASH) भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका-- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

12. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

13. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



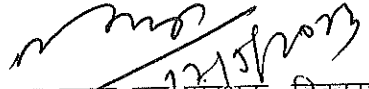
15. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्रि एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।
16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।
17. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगे।
19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।
20. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाइट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।
21. नदी तट पर मुख्यतः स्थायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हों। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
22. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।



23. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत स्थायी अनुदेश सं०-1681 दिनांक-08.06.2015 एवं समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

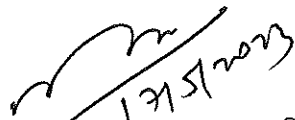

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-64/2022-

दिनांक-

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ मेदिनीनगर/दुमका/हजारीबाग/जमशेदपुर/बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ दुमका/देवघर/ चतरा/ हजारीबाग/ जमशेदपुर/ बोकारो/गिरिडीह/मेदिनीनगर/ पी०एम०यू०सेल, योजना अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

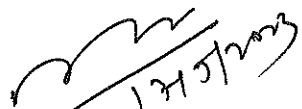

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-64/2022-

दिनांक-

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ पाकुड़/ साहेबगंज/ देवघर/ हजारीबाग/ चतरा/ गढ़वा/ लातेहार/ दुमका/ डोरण्डा, राँची/ मेदिनीनगर/ जमशेदपुर/ धनबाद/ गिरिडीह/ बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "नदी तट पर वृक्षारोपण योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹0 346.01 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				11106.92	4572.13	15679.05
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गुमला वन प्रमंडल, गुमला	10.00	100.00	11.107	4.572	15.679
2	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	7.00	70.00	7.775	3.200	10.975
3	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
4	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
6	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
7	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
8	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
9	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
10	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
11	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
12	राँची वन प्रमंडल, राँची	10.00	100.00	11.107	4.572	15.679
13	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	7.00	70.00	7.775	3.200	10.975
14	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	10.00	100.00	11.107	4.572	15.679
15	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
16	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
17	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
18	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	5.00	50.00	5.553	2.286	7.839
योग :-		109.00	1090.00	121.060	49.834	170.894

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधों की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाण	2000 m ²	100*20
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	346.01	रुपये

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2023-24 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 346.01					
1	पौधों का क्रय ढुलाई सहित 360	10 रु० प्रति	0	0.00	3600.00	3600.00
2	वृक्षारोपण	प्रति इकाई	6.6	2283.67	0.00	2283.67
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	प्रति इकाई	7.50	2595.08	0.00	2595.08
4	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	18.00	6228.18		6228.18
5	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	472.13	472.13
6	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	प्रति इकाई		0.00	500.00	500.00
	कुल:-		32.10	11106.92	4572.13	15679.05

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-64/2022/337

दिनांक - 17-May-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26834	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	1,110,700.00 रुपये ग्यारह लाख दस हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26836	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	777,500.00 रुपये सात लाख सित्पत्तर हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26837	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये चौदस लाख तीरयालीस हजार पाँच सौ
क्रमिक योग:

2,443,500.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. P.C.C.E. DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26839	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	555,300.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26840	DGRFORE87 B.BHASKARAN रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ D.F.O. S.F.DIV.. DGR 03 - मजदूरी	555,300.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26842	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	555,300.00
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये इकतालीस लाख नौ हजार चार सौ

क्रमिक योग:

1,665,900.00

4,109,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	26844	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ 
8	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	26846	CTRFOR003 SRI SHABA ALAM ANSARI D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ 
9	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	26848	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ 

योग: रुपये सत्तावन लाख पचहत्तर हजार तीन सौ
क्रमिक योग:

1,665,900.00

5,775,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26850	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26852	DMKFOR003 SATWIK D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26854	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	1,110,700.00 रुपये ग्यारह लाख दस हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये उन्नासी लाख छयानवे हजार छः सौ
क्रमिक योग:

2,221,300.00

7,996,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26856	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV. 03 - मजदूरी	777,500.00 रुपये सात लाख सित्तीत्तर हजार पॉच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26859	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	1,110,700.00 रुपये ग्यारह लाख दस हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	26860	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पॉच लाख पचपन हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड चार लाख चालीस हजार एक सौ

2,443,500.00

क्रमिक योग:

10,440,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंडित राशि
16	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	26862	DHNFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ
17	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	26863	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ
18	S 19 24060110170010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	26864	BKRFOR001 RAJNISH KUMAR, I.F.S D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	555,300.00 रुपये पाँच लाख पचपन हजार तीन सौ

योग:

रुपये एक करोड इक्कीस लाख छः हजार

1,665,900.00

क्रमिक योग:

12,106,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26889	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	457,200.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार दो सौ
20	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26891	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	320,000.00 रुपये तीन लाख बीस हजार
21	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26893	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ

योग:

रुपये एक करोड इकतीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ

1,005,800.00

क्रमिक योग:

13,111,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. BHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110170010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26894	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
23	S 19 24060110170010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26896	DGRFORE87 B.BHASKARAN D.F.O. S.F.DIV.. DGR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
24	S 19 24060110170010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26898	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ

योग: रुपये एक करोड सैतीस लाख सित्त्तानवे हजार छः सौ
क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)

ADOL PCCF DEV JHARKHAND

RANCH

685,800.00

13,797,600.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26900	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ 
26	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26901	CTRFOR003 SRI SHABA ALAM ANSARI D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ 
27	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	26904	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ 

योग: 685,800.00
 क्रमिक योग: रुपये एक करोड चवालीस लाख तिरयासी हजार चार सौ 14,483,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26907	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26910	DMKFOR003 SATWIK D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26911	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	457,200.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड तीरपन लाख सित्तानवे हजार आठ सौ

914,400.00

क्रमिक योग:

15,397,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26913	PLMFOR070 SAUMITRA SHUKLA IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	320,000.00 रुपये तीन लाख बीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26915	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	457,200.00 रुपये चार लाख सत्तावन हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26916	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड चौसठ लाख तीन हजार छः सौ

1,005,800.00

क्रमिक योग:

16,403,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26918	DHNFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26920	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060110170010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 70 - नदी तट वृक्षारोपण योजना 01-नदी तट वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	26921	BKRFOR001 RAJNISH KUMAR, I.F.S D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	228,600.00 रुपये दो लाख अठाइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: 685,800.00
 क्रमिक योग: रुपये एक करोड सत्तर लाख नवासी हजार चार सौ 17,089,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND